

बिहार सरकार,  
शिक्षा विभाग।

पत्रांक : 09/साई०यो०-11/2015 .....

पटना, दिनांक .....

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

द्वारा:

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय:-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना मद से राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय (उत्क्रमित सहित) अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय/ अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्तरहित उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना अन्तर्गत 9वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत 694115 (छः लाख चौरानवें हजार एक सौ पन्द्रह) छात्रों के लिए साईकिल क्रय हेतु प्रति छात्र 2500/- (दो हजार पाँच सौ) की दर से कुल राशि ₹1,73,52,87,500/- (एक अरब तिहत्तर करोड़ बावन लाख सतासी हजार पाँच सौ) एवं मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना अन्तर्गत 9वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत 713715 (सात लाख तेरह हजार सात सौ पन्द्रह) छात्राओं के लिए साईकिल क्रय हेतु प्रति छात्रा 2500/- (दो हजार पाँच सौ) की दर से कुल ₹1,78,42,87,500/- (एक अरब अठहत्तर करोड़ बेयालीस लाख सतासी हजार पाँच सौ) कुल ₹3,51,95,75,000/- (तीन अरब एकावन करोड़ पैंचानवें लाख पचहत्तर हजार) रुपये एवं मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना के अनुश्रवण हेतु उक्त योजना में व्यय की जाने वाली राशि का 1% राशि ₹3,51,95,750/- (तीन करोड़ एकावन लाख पंचानवें हजार सात सौ पचास) अर्थात् कुल ₹3,55,47,70,750/- (तीन अरब पचपन करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार सात सौ पचास) रुपये के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:

स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 दिनांक 03.01.2008 के कंडिका-7 के आलोक में राज्य योजना मद से राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय (उत्क्रमित सहित) अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय/ अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्तरहित उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना अन्तर्गत 9वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत 694115 (छः लाख चौरानवें हजार एक सौ पन्द्रह) छात्रों के लिए साईकिल क्रय हेतु प्रति छात्र 2500/- (दो हजार पाँच सौ) की दर से कुल राशि ₹1,73,52,87,500/- (एक अरब तिहत्तर करोड़ बावन लाख सतासी हजार पाँच सौ) एवं मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना अन्तर्गत 9वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत 713715 (सात लाख तेरह हजार सात सौ पन्द्रह) छात्राओं के लिए साईकिल क्रय हेतु प्रति छात्रा 2500/- (दो हजार पाँच सौ) की दर से कुल ₹1,78,42,87,500/- (एक अरब अठहत्तर करोड़ बेयालीस लाख सतासी हजार पाँच सौ) कुल ₹3,51,95,75,000/- (तीन अरब एकावन करोड़ पैंचानवें लाख पचहत्तर हजार) रुपये एवं मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना के अनुश्रवण हेतु उक्त योजना में व्यय की जाने वाली राशि का 1% राशि ₹3,51,95,750/- (तीन करोड़ एकावन लाख पंचानवें हजार सात सौ पचास) अर्थात्



कुल ₹3,55,47,70,750 /—(तीन अरब पचपन करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार सात सौ पचास) रुपये के व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जानी है:—

कोटि	बजट के उपबंधित राशि	अनुश्रवण हेतु कर्णांकित राशि 1 %	लाभान्वितों के लिए राशि	कुल राशि
अन्य कोटि के छात्रों के लिए	1252950000	13115725	1311572500	1324688225
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए	465550000	4237150	423715000	427952150
अन्य कोटि के छात्राओं के लिए	1349060000	14410875	1441087500	1455498375
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए	506740000	3432000	343200000	346632000
कुल :-	3574300000	35195750	3519575000	3554770750

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्नांकित शीर्ष से किया जायेगा :-

❖ "मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना" (बालक अन्य कोटि) अन्तर्गत ₹1,32,46,88,225 /—(एक अरब बत्तीस करोड़ छियालीस लाख अठासी हजार दो सौ पच्चास) रुपये के व्यय का विकलन मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-107-छात्रवृत्तियां, उप शीर्ष-0105-मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना, विपत्र कोड-21-2202021070105 विषय शीर्ष-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा में उपबंधित एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि अर्थात् कुल राशि ₹1,25,29,50,000 /—(एक अरब पचीस करोड़ उन्तीस लाख पचास हजार) रुपये से किया जायेगा। उपबंधित राशि के अतिरिक्त आवश्यक राशि ₹7,17,38,225 /—(सात करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार दो सौ पचीस) रुपये द्वितीय अनुपूरक/पुनर्विनियोग से व्यवस्था के उपरान्त किया जायेगा।

❖ "मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना" (बालक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अन्तर्गत ₹42,79,52,150 /—(बेयालीस करोड़ उनासी लाख बावन हजार एक सौ पचास) रुपये के व्यय का विकलन मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना, विपत्र कोड-21-2202027890101 विषय शीर्ष-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा में उपबंधित एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि अर्थात् कुल राशि ₹46,55,50,000 /—(छियालीस करोड़ पचपन लाख पचास हजार) रुपये से किया जायेगा।

❖ "मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना" (बालिका अन्य कोटि) अन्तर्गत ₹1,45,54,98,375 /—(एक अरब पैतालीस करोड़ चौवन लाख अठानवें हजार तीन सौ पचहत्तर) रुपये के व्यय का विकलन मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-107-छात्रवृत्तियां, उप शीर्ष-0106-मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, विपत्र कोड-21-2202021070106 विषय शीर्ष-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा में उपबंधित एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि अर्थात् कुल राशि ₹1,34,90,60,000 /—(एक अरब चौतीस करोड़ नव्वे लाख साठ हजार) रुपये से किया जायेगा। उपबंधित राशि के अतिरिक्त

आवश्यक राशि ₹10,64,38,375/- (दस करोड़ चहोत्तर लाख अड़तीस हजार तीन सौ पचहत्तर) रुपये द्वितीय अनुपूरक/पुनर्विनियोग से व्यवस्था के उपरान्त किया जायेगा।

❖ "मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना" (बालिका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अन्तर्गत ₹34,66,32,000/- (चौतीस करोड़ छियासठ लाख बत्तीस हजार) रुपये के व्यय का विकलन मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0102-मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, विपत्र कोड-21-2202027890102 विषय शीर्ष-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा में उपबंधित एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि अर्थात् कुल राशि ₹50,67,40,000/- (पचास करोड़ सड़सठ लाख चालीस हजार) रुपये से किया जायेगा।


3. सम्पूर्ण राशि का आवंटन जिलों से छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) से मांग पत्र के अनुसार विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।

4. योजना के अनुश्रवण हेतु स्वीकृत राशि अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग द्वारा निकासी कर बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना को बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

5. साईकिल का क्रय छात्र/छात्राओं द्वारा स्वयं किया जायेगा, जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(क) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर राशि का उपावंटन राजकीय/राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत् 75% उपस्थिति वाले लाभुक छात्र/छात्राओं की संख्या के सत्यापनोंपरान्त संतुष्ट होने पर प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को उपावंटित की जायेगी। उक्त उपावंटन से पूर्व 75% से अधिक उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की सूची जिला शिक्षा कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य होगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) देंगे। प्रधानाध्यापक/प्राचार्य अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य कोटि के छात्र/छात्राओं की अलग-अलग सूची तैयार करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी BTC-43 प्रपत्र पर की जायेगी, जिसके साथ 75% उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की सूची संलग्न की जायेगी। उक्त सूची में छात्र/छात्राओं के नाम, पिता का नाम एवं पता, कक्षा, क्रमांक, योजना का नाम अवधि, साईकिल की राशि की दर तथा कुल राशि के विवरणी की सूची संलग्न करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यह भी अंकित किया जायेगा कि लाभुक छात्र/छात्राओं नामांकित एवं अध्ययनरत् है एवं उनको 75% से अधिक उपस्थिति प्राप्त है। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की जबावदेही संबंधित प्रधानाध्यापक की होगी। यह राशि संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा निकासी के बाद छात्र/छात्राओं के खाते में RTGS के माध्यम से दी जायेगी।

(ख) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर जिले के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुदानित प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत/मदरसा एवं वित्तरहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नियमित रूप से 75% उपस्थिति वाले अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य कोटि के छात्र/छात्राओं की अलग-अलग सूची तैयार करेंगे। उक्त उपावंटन से पूर्व 75% से अधिक उपस्थिति के छात्र/छात्राओं की सूची जिला शिक्षा कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य



होगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) देंगे। लाभुकों की संख्या के सत्यापनोंपरांत संतुष्ट होने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा) द्वारा राशि की निकासी BTC-43 प्रपत्र पर की जायेगी, जिसके साथ 75% उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं की सूची संलग्न की जायेगी। उक्त सूची में छात्र/छात्राओं के नाम, पिता का नाम एवं पता, कक्षा, क्रमांक, योजना का नाम एवं अवधि, साईकिल की राशि की दर तथा कुल राशि के विवरणी की सूची संलग्न की जायेगी। राशि की निकासी के पश्चात् संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (यो० एवं ले०) 75% उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं के खाता में RTGS के माध्यम से राशि हस्तान्तरित करेंगे।

(ग) राशि आवंटन/निकासी के दो माह के अन्दर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना) वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) सभी प्रधानाध्यापक राशि वितरण कर व्यय-विवरण जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना) को उपलब्ध करायेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को व्यय विवरण उपलब्ध करायेंगे।

(ङ) संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा अप्रैल से सितम्बर, 2017 की अवधि में 75% छात्रोंपरिस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को ही ₹2500/- (दो हजार पाँच सौ) रुपये की दर से उनके खाता में RTGS के माध्यम से राशि हस्तान्तरित की जायेगी। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक जवाबदेह होंगे।

(च) विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस राशि से छात्र/छात्राओं द्वारा अपने मनोनुकूल आई०एस०ओ०/आई०एस०आई० श्रेणी की साईकिल का क्रय किया जाय, जो प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा निर्मित हो तथा जिस पर यथास्थिति "मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना"/ "मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना" अंकित हो।

(छ) विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक छात्र/छात्राओं द्वारा क्रय किये गये साईकिल का अभिश्रव (Voucher) छात्र/छात्राओं से प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि उनका उपयोग अंकेक्षण के समय किया जा सके।

(ज) छात्र/छात्राओं द्वारा साईकिल योजना की राशि से सिर्फ साईकिल क्रय किया जाय न कि इस राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जाय। अगर ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उक्त राशि उनके माता-पिता से वसुलनीय होगी।

(झ) जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिरी (योजना एवं लेखा) एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत जिन छात्र/छात्राओं को साईकिल उपलब्ध करायी गयी है, वैसे छात्र/छात्राओं को साईकिल क्रय हेतु राशि उपलब्ध नहीं करायी जाय। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य छात्र/छात्राओं के माता-पिता से यह घोषणा-पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके द्वारा अन्य किसी योजना से साईकिल क्रय हेतु राशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(ञ) योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। राज्य स्तर पर अनुश्रवण, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग करेंगे।

(ट) किसी तृतीय एजेंसी (स्वतंत्र) से Sample Basis पर भुगतान की जांच करा ली जायेगी।

(ठ) अवितरित राशि, यदि कोई हो, को वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।

(ड) साईकिल का क्रय वाणिज्य कर विभाग के पंजीकृत प्रतिष्ठान से कराना सुनिश्चित किया जाये।

(ढ) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस मद की राशि का उपयोग किसी अन्य मद पर नहीं करेंगे।

6. संचिका संख्या-09/साई०यो०-11/2015 के पृष्ठ-73/टि० पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-09/साई०यो०-11/2015 के पृष्ठ-74/टि० पर दिनांक 04.12.2017 को प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञांपाक : 09/साई०यो०-11/2015 .....

पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञांपाक : 09/साई०यो०-11/2015 ...62

पटना, दिनांक ...5.12.17

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना/सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/उप सचिव, शिक्षा विभाग/अवर सचिव-सह-आय-व्यय पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (योजना एवं लेखा)/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/बजट शाखा/लेखा शाखा, माध्यमिक शिक्षा/संबंधित प्राचार्य/प्राचार्या/प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या/प्रधानाध्यापक को इस राज्यादेश की छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना  
(वित्तीय वर्ष 2017-18 का निर्धारित लक्ष्य)

क्रमांक	जिला का नाम	बालक			बालिका		
		SC/ST को छोड़कर लाभुकों की संख्या	(एस0सी0/एस0टी0) लाभुकों की संख्या	कुल (3+4)	SC/ST को छोड़कर लाभुकों की संख्या	(एस0सी0/एस0टी0) लाभुकों की संख्या	कुल (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	16024	4073	20097	17740	3995	21735
2	नालन्दा	14967	5365	20332	15663	4973	20636
3	भोजपुर	18568	4297	22865	19113	4085	23198
4	बक्सर	11946	3029	14975	12832	2963	15795
5	रोहतास	20370	8446	28816	20948	7721	28669
6	भभुआ	4619	1663	6282	5905	2143	8048
7	गया	11472	4624	16096	14522	5408	19930
8	जहानाबाद	2442	736	3178	3713	956	4669
9	अरवल	3812	1211	5023	4478	1245	5723
10	नवादा	13368	3651	17019	14772	5848	20620
11	औरंगाबाद	11236	4270	15506	14630	5109	19739
12	मुजफ्फरपुर	23409	5666	29075	25228	6073	31301
13	सीतामढ़ी	17715	3090	20805	18767	3010	21777
14	शिवहर	3665	625	4290	4218	644	4862
15	वैशाली	19452	6346	25798	21247	6847	28094
16	पू0 चम्पारण	28856	4928	33784	28631	4852	33483
17	प0 चम्पारण	21113	6827	27940	19108	6923	26031
18	सारण	27913	5435	33348	31546	6423	37969
19	सीवान	21043	5267	26310	25215	5783	30998
20	गोपालगंज	16524	3632	20156	18531	3749	22280
21	दरभंगा	26542	6258	32800	27720	5996	33716
22	मधुबनी	38310	7995	46305	41980	8339	50319
23	समस्तीपुर	17590	4657	22247	21913	5679	27592
24	सहरसा	10665	2433	13098	10522	1825	12347
25	सुपौल	11765	2540	14305	11448	2161	13609
26	मधेपुरा	9575	1968	11543	10677	1885	12562
27	पूर्णिया	10690	2453	13143	11780	2271	14051
28	अररिया	7535	1291	8826	8603	1094	9697
29	किशनगंज	5287	680	5967	8037	741	8778
30	कटिहार	8110	1631	9741	9417	1521	10938
31	भागलपुर	15829	41681	57510	17898	4011	21909
32	बांका	6980	1824	8804	7365	1753	9118
33	मुंगेर	6922	1577	8499	7864	1581	9445
34	शेखपुरा	2744	682	3426	3063	598	3661
35	लखीसराय	4299	764	5063	4751	747	5498
36	जमुई	6389	1765	8154	6949	1842	8791
37	खगड़िया	9980	1804	11784	9866	1648	11514
38	वेगूसराय	16903	4302	21205	19775	4838	24613
<b>Total</b>		<b>524629</b>	<b>169486</b>	<b>694115</b>	<b>576435</b>	<b>137280</b>	<b>713715</b>

उप सचिव  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना